सत्यमेव जयते

भारत सरकार

और

तुर्कमेनिस्तान सरकार

के बीच

हवाई सेवा करार

भारत सरकार और तुर्कमेनिस्तान सरकार जिन्हें इससे आगे 'संविदाकारी पक्ष' कहा गया है,

जो ७ दिसम्बर, १९४४ को शिकागो में हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किये गए अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता हैं,

जो नागर विमानन के क्षेत्र में अपने परस्पर संबंधों को बढ़ाने और अपने-अपने भू-भागों के बीच हवाई सेवाएं स्थापित करने के प्रयोग से एक करार को अंतिम रूप देना चाहते हैं,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद-१

परिभाषा

इस करार के प्रयोजन के लिये जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय भारत के संबंध में महानिदेशक, नागर विमानन और तुर्कमेनिस्तान के संबंध में राष्ट्रीय नागर विमानन प्रशासन या दोनों के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिन्हें इस समय उक्त प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों को करने के लिये प्राधिकृत किया गया है ।

(ख) "नामित विमान कंपनी" पद का आशय ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों ने इस करार के अनुच्छेद-३ के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को लिखित रूप में घोषित की हो ।

(ग) "अभिसमय" पद का आशय उस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है जो शिकागो में ७ दिसम्बर, १९४४ को हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किया गया था और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद-९० के अंतर्गत स्वीकार किया गया कोई भी अनुबंध एवं उसके अनुच्छेद ९० व ९४ के अंतर्गत अनुबंधों में अथवा अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन शामिल होगा जहां तक ये अनुबंध और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा स्वीकार किये गए हों, और

सत्यमेव जयते

(घ) "भू-भाग", "विमान सेवा", "अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिये रूकना" पदों का आशय वही है जो कि उन्हें क्रमशः अभिसमय के अनुच्छेद-२ और ९६ में दिया गया है ।

अनुच्छेद-२

यातायात अधिकार प्रदान करना

१. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को, इस करार की मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से करार में निर्दिष्ट अधिकार मंजूर करता है । इस प्रकार की सेवाएं और मार्ग इसके बाद क्रमशः सम्मत सेवाएं और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहलाएंगे ।

२. इस करार के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

(क) बिना उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना,

(ख) यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में रूकना,

(ग) विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के प्रचालन के समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी को अंतरराष्ट्रीय यातायात में यात्री, कार्गो और डाक, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में इस करार के अनुबंध में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट स्थानों पर उतारने और चढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त होगा ।

३. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-२ में किसी भी बात का अर्थ यह नही समझा जाएगा कि किसी भी एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के किसी स्थान से उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के किसी स्थान को यात्री, कार्गो या डाक विमान में ले जाने का अधिकार मिल गया है ।

अनुच्छेद-३

विमान कंपनी नामित करना

१. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के प्रचालन के लिये दूसरे संविदाकारी पक्ष को एक विमान कम्पनी नामित करने का अधिकार होगा ।

२. ऐसा नामांकन प्राप्त हो जाने के बाद, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (३) और (४) के उपबंधों के अधीन, बिना विलंब के नामित विमान कम्पनी को उपयुक्त प्रचालन

सत्यमेव जयते

प्राधिकार मंजूर करेगा ।

३. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी से अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उनका समाधान करे कि वह उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य है जो सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर (अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप ऐसे प्राधिकारियों द्वारा) लागू होते हैं ।

४. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (२) में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार मंजूर करने से अस्वीकार करने या किसी भी नामित एयरलाइन द्वारा अनुच्छेद-२ में निर्दिष्ट उन अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जहां उसका समाधान न हो कि नामित विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस विमान कम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित नहीं है । इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए "वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण" का आशय है कि किसी भी हालत में जहां नामित विमान कम्पनी करार के अधीन अपनी सेवाएं, किसी अन्य देश या सरकार अथवा राष्ट्रिकों की एयरलाइन के साथ कोई और करार करके प्रचालित करती है तो यह माना जाएगा कि इस विमान कम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों के पास उस विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण नहीं है, जब तक कि संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों के पास नामित विमान कम्पनी की संपत्ति के अधिकांश भाग के अलावा, निम्नलिखित भी न हों :-

(१) नामित विमान कम्पनी के प्रबंध मंडल में प्रभावी नियंत्रण, और

(२) सेवाओं के प्रचालन में प्रयुक्त विमानों और उपस्करों के बेड़े के बड़े भाग का स्वामित्व और उस पर प्रभावी नियंत्रण ।

५. इस प्रकार नामित और प्राधिकृत विमान कम्पनी किसी भी समय सम्मत सेवाओं का प्रचालन आरंभ कर सकती है बशर्ते कि अनुच्छेद-१० और १२ के उपबंधों का अनुपालन कर लिया गया हो ।

अनुच्छेद-४
प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत करना अथवा रोक देना

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने अथवा इसके प्रयोग को रोक देने का अधिकार होगा अथवा ऐसे प्राधिकार के प्रयोग पर ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे यदि विमान कंपनी उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन करने में असमर्थ रहती है, अथवा उसके पहले संविदाकारी पक्ष के विचार से वह उन शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है जिसके तहत इस करार के अधीन उसे अधिकार दिए गए थे । यदि अनुच्छेद-३ के पैरा ४ में दिए गए उपबंधों का

सत्यमेव जयते

पालन नहीं किया जाता तो भी यह लागू होगा । ऐसी कार्रवाई, इस करार के अनुच्छेद १५ के अनुसार दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच आपसी परामर्श के बाद ही की जाएगी बशर्ते कि प्रचालनों का तत्काल निलंबन अथवा शर्तों का लगाया जाना, कानूनों और विनियमों अथवा इस करार के उपबंधों के आगे और उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक न हो ।

अनुच्छेद-५
प्रयोक्ता प्रभार

१. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, अपने हवाई अड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं के उपयोग के लिए सही और उचित प्रभार ले सकता है अथवा लेने की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि ये प्रभार इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी उसकी अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन द्वारा दिए जाने वाले प्रभार से अधिक न हो ।

२. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, अपने सक्षम प्रभार वसूलने वाले संगठनों और सेवाओं तथा सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित एयरलाइनों और जहां कही व्यवहार्य हो, एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा । प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए प्रयोक्ता को उचित नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि परिवर्तन होने से पूर्व वे अपने विचार प्रकट कर सकें ।

३. कोई भी संविदाकारी पक्ष, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी दूसरे संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों की तुलना में अपनी एयरलाइन अथवा किसी अन्य एयरलाइन को, उन पर लागू विनियमों अथवा अपने नियंत्रणाधीन हवाई अड्डों, हवाई मार्गों, विमान सेवाओं और संबंधित सुविधाओं के उपयोग के लिए कोई वरीयता नही देगा ।

अनुच्छेद-६
सीमा-शुल्क और प्रक्रिया

१. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर प्रचालित किये जा रहे विमान तथा विमान में रखे गए उनके नियमित उपस्कर, ईंधन और स्नेहकों की सप्लाई और विमान में पहले से रखे गए विमान भंडार जिसका उपयोग केवल ऐसे विमान के लिये किया जाना हो, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुंचने पर सभी प्रकार के सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा, अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं का प्रचालन कर रही अपनी नामित विमान कंपनी या अति निकटतम राष्ट्र की विमान कंपनी को प्रदान किये जा रहे व्यवहार से कम अनुकूल न हो ।

२. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में लगाए गए विमानों के रख-रखाव या मरम्मत के लिये दोनों में से किसी भी दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में

सत्यमेव जयते

प्रविष्ट अतिरिक्त कल-पुर्जों पर भी उसी प्रकार का व्यवहार लागू होगा ।

३. किसी भी संविदाकारी पक्ष को, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनियों को तब तक सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क, या ऐसे ही अन्य प्रभारों पर छूट या रियायत देने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसा दूसरा संविदाकारी पक्ष, पहले संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को ऐसे ही प्रभारों से छूट या रियायत प्रदान नहीं करेगा ।

४. दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष के विमान में रखा हुआ विमान से संबंधित नियमित उपस्कर और सामग्री एवं भंडार ऐसे क्षेत्र के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उतारा जा सकेगा ।

५. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (१), (२) और (४) में उल्लिखित सामग्री सीमा-शुल्क पर्यवेक्षण या नियंत्रण में रखी जा सकती है ।

६. किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के पार सीधे पारगमन में यात्री बहुत ही साधारण नियंत्रण के अधीन होंगे । सीधे पारगमन में सामान और कार्गो सीमा-शुल्क और अन्य ऐसे ही करों से मुक्त रहेगा ।

अनुच्छेद-७
प्रतिनिधित्व

१. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को निर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के निष्पादन के लिए अपने स्वयं के या स्थानीय तकनीकी और वाणिज्यिक कार्मिकों के साथ दूसरे देश के भू-भाग में उसके कानूनों और विनियमों के अधीन प्रतिनिधित्व स्थापित करने तथा रखने का अधिकार होगा । ऐसा प्रतिनिधित्व स्थानीय प्रक्रियाओं के अनुसार स्थापित किया जाएगा ।

२. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की सक्षम निकाय, सम्मत सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के प्रतिनिधित्व को सुचारू कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ।

३. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, दूसरे राष्ट्र के भू-भाग में वहन संबंधी अपने दस्तावेजों को जारी करने और विज्ञापन तथा विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए समान अवसर प्राप्त होगा । ऐसी बिक्री स्थानीय मुद्रा या किसी परिवर्तनीय मुद्रा में अदायगी करके और क्रेडिट कार्डों पर, उनके अपने विक्रय कार्यालयों के माध्यम से सीधे या ट्रैवल एजेंसियों और/या विक्रय के माध्यम से किसी व्यक्ति संगठन या निकाय को की जा सकेगी ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-८

विधियों और विनियमों का अनुप्रयोग

१. अंतरराष्ट्रीय दिक्चालन में नियोजित विमान के अपने स्वयं के भू-भाग में प्रवेश अथवा वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले, अथवा उसके भू-भाग के अंदर रहते हुए ऐसे विमान के प्रचालन से संबंधित प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर, उक्त भू-भाग में प्रवेश, वहां से प्रस्थान करने और उसके अंदर लागू होंगे ।

२. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की उसके भू-भाग में विमान पर चढ़े यात्रियों, कर्मीदल, अस्वाब, कार्गो और डाक के प्रवेश और प्रस्थान से संबंधित विधियों और विनियमों का, जिनमें प्रवेश और प्रस्थान आप्रवास, प्रवास, पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा और स्वच्छता संबंधी उपायों की बावत विनियम शामिल हैं, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन द्वारा अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय अथवा वहां से प्रस्थान करते हुए अथवा उसके अंदर पालन किया जाएगा ।

अनुच्छेद-९

क्षमता/सेवाओं की आवृत्ति

१. दोनों संविदाकारी पक्षों की विमान कंपनियों को अपने-अपने भू-भागों के बीच निर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के प्रचालन के लिए उचित और समान अवसर प्राप्त होंगे ।

२. सम्मत सेवाओं के प्रचालन में प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विमान कंपनी संविदाकारी पक्ष की विमान कंपनी के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उसके द्वारा उसी मार्ग पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर अनुचित प्रभाव न पड़े ।

३. नामित विमान कंपनियों द्वारा सम्मत सेवाओं पर उपलब्ध कराई जा रही क्षमता का संविदाकारी पक्षों के भू-भागों के बीच यात्रा करने वाले लोगों की अनुमानित हवाई परिवहन संबंधी आवश्यकताओं से निकट संबंध होगा ।

४. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित किए जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति के संबंध में दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी ।

५. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विमान क्षमता और/या प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई भी वृद्धि, मुख्यतः संविदाकारी पक्षों के भू-भागों के बीच यातायात की अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित होगी और यह दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच आपसी सहमति के अधीन होगी । ऐसी सहमति या समाधान होने तक पहले से लागू विमान क्षमता और आवृत्ति का अधिकार कायम रहेगा ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-१०
प्रचालन सूचना की व्यवस्था

१. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कम्पनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को सम्मत सेवाओं के शुरू होने से कम से कम साठ दिन पहले सेवा की किस्म और उसकी आवृत्ति, प्रयोग में लाए जाने वाले विमानों के प्रकार और उड़ान अनुसूचियों के बारे में उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ सूचना देगा । सम्मत सेवाओं के प्रचालन में जब कभी कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उसकी सूचना भी कम से कम ३० दिन पहले दी जाएगी ।

२. नामित विमान कम्पनियाँ दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के समाधान के लिये ऐसी अन्य अपेक्षित सूचना भी देगा कि करार की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से पालन किया जा रहा है ।

अनुच्छेद-११
आंकड़ों की व्यवस्था

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कम्पनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग को या वहां से होकर प्रत्येक मास के दौरान सम्मत सेवाओं पर वहन किए गए यात्रियों से संबंधित आंकड़े, जिसमें यात्रियों के विमान में सवार होने और उतरने के स्थान भी दिखाये गये हों, प्रस्तुत करेगी । ऐसे आंकड़े यथासंभव शीघ्र प्रत्येक मास के अंत में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

अनुच्छेद-१२
टैरिफ

निम्नलिखित पैराओं के प्रयोजन के लिये "टैरिफ" का आशय यात्रियों और कार्गो के वहन के लिये अदा की जाने वाली कीमतों और एजेंसी एवं अन्य अनुषंगी सेवाओं की कीमतों और शर्तों सहित उन स्थितियों से है जिनके अंतर्गत ये लागू होती हैं लेकिन इसमें डाक के वहन के लिये पारिश्रमिक और उससे संबंधित शर्तें शामिल नहीं है ।

२. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से अथवा उसके भू-भाग के लिए वहन किए जाने वाला टैरिफ उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य विमान कम्पनियों के टैरिफों सहित सभी संगत पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा ।

३. इस अनुच्छेद के उपर्युक्त पैरा (२) में उल्लिखित टैरिफ पर, यदि संभव हो, दोनों

सत्यमेव जयते

संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों के बीच सहमति होगी और ऐसा करार, जहां भी संभव हो, अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की पद्धतियों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा ।

४. इस प्रकार से सम्मत टैरिफ लागू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम नब्बे (९०) दिन पहले संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे । विशेष मामलों में यदि उक्त प्राधिकारी सहमत हों तो यह अवधि घटाई जा सकती है ।

५. यह अनुमोदन शीघ्र दिया जा सकता है । यदि प्रस्तुत करने की तारीख से तीस (३०) दिन की अवधि के भीतर कोई भी वैमानिकी प्राधिकारी अपनी असहमति प्रकट न करे तो इस अनुच्छेद के पैरा (४) के अनुसार ये टैरिफ अनुमोदित समझे जाएंगे । जैसा कि पैरा (४) में उपबंधित है, यदि टैरिफ प्रस्तुत करने की अवधि कम की जाती है तो वैमानिकी प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वह अवधि जिसके अंतर्गत कोई भी अस्वीकृति अधिसूचित की जानी है, तीस (३०) दिन से कम होगी ।

६. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (३) के अनुसार इस टैरिफ पर सहमति नहीं होती है, या यदि पैरा (५) के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को पैराग्राफ (३) के प्रावधानों के अनुसार सहमत टैरिफ की अस्वीकृति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारित करने का प्रयास करेंगे ।

७. यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के पैरा (४) के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए टैरिफ के अनुमोदन अथवा पैरा (६) के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सकें तो इस करार के अनुच्छेद-१७ के उपबंधों के अनुसार इस मामले का निपटान किया जाएगा ।

८. जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नही कर लिया जाता, तब तक इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ लागू रहेगा । तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह (१२) महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता ।

अनुच्छेद-१३
अर्जित राजस्व का अंतरण

१. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को पहले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अर्जित राजस्व में से व्यय के बाद बचत राशि अपने मुख्यालय को अंतरित करने का अधिकार प्रदान करेगा । इस प्रकार की राशि परिवर्तित मुद्रा में दी जाएगी और यह उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन और उसके अनुसार होगा जहां यह राजस्व

सत्यमेव जयते

अर्जित किया गया है ।

२. इस प्रकार का अंतरण मुद्रा भुगतान के लिए सरकारी विनिमय दर के आधार पर किया जाएगा अथवा जहां सरकारी विनिमय दर लागू न हो, वहां भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी विनिमय की मार्केट दर से किया जाएगा ।

३. ऐसे मामलों में जहां दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के समझौते के लिए विशेष व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था के उपबंधों को, इस अनुच्छेद के पैरा (१) के अंतर्गत विनिमयों के अंतरण पर लागू किया जाएगा ।

अनुच्छेद-१४

विमानन सुरक्षा

१. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप संविदाकारी पक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैरकानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के खिलाफ नागर विमानन की सुरक्षा को बनाये रखने संबंधी उनका एक दूसरे के प्रति दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है । अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किये बिना संविदाकारी पक्ष विशेषकर १४ सितम्बर, १९६३ को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान पर किए जाने वाले अपराधों और कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, १६ दिसम्बर, १९७० को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैरकानूनी अभिग्रहण के अनुरोध से संबंधित अभिसमय और २३ सितम्बर, १९७१ को मांट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध गैरकानूनी कृत्यों के निरोध से संबंधित अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे ।

२. अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैरकानूनी रूप से सिविल विमानों का अभिग्रहण किए जाने की कार्रवाईयों और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों, कर्मीदल हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं के विरूद्ध गैरकानूनी कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के लिए किसी भी अन्य खतरे से बचाव के लिए एक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे ।

३. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, उस सीमा तक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा शासित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में निर्दिष्ट नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे जहां तक वे सुरक्षा उपबंध संविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं, उनके पंजीकृत विमानों के प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों, जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके भू-भाग में है तथा उनके राज्य भू-भाग में, हवाई अड्डों के प्रचालकों से वे यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें ।

४. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत है कि विमान के इस प्रकार के प्रचालकों को,

सत्यमेव जयते

दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश के लिए, वहां से प्रस्थान के लिए अथवा उसके अंदर उस दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उपर्युक्त पैरा ३ में उल्लिखित सुरक्षा उपबंधों का अनुपालन करना पड़ सकता है । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान की सुरक्षा और विमान पर सवार होते समय अथवा लदान के दौरान यात्रियों, कर्मीदल, सामान, माल और विमान भंडार के निरीक्षण के लिए उसके भू-भाग के अंदर प्रभावी और पर्याप्त उपाय लागू किये जाते हैं । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष धमकी से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष से प्राप्त किसी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा ।

५. यदि किसी सिविल विमान के गैरकानूनी ढंग से अभिग्रहण किये जाने की घटना की धमकी दिये जाने की कोई घटना घटती है अथवा इस प्रकार के विमान, उसके यात्रियों और कर्मीदल, हवाई अड्डों अथवा विमान दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध कोई कृत्य किये जाते हैं तो संविदाकारी पक्ष इस प्रकार की घटना अथवा धमकी से शीघ्र निपटने के लिए संचार माध्यमों और अन्य उपायों के द्वारा एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

६. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा जैसे कि वह व्यवहारिक समझे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विमान, जिसके विरूद्ध गैरकानूनी अभिग्रहण की कार्रवाई की गई है अथवा गैर-कानूनी हस्तक्षेप की अन्य कार्रवाईयां की गई हैं, जो उसके भू-भाग में उतरा है उसे भूमि पर रोका जाए बशर्ते उसका प्रस्थान मानवीय जीवन की सुरक्षा के अभिभावी कर्तव्य द्वारा आवश्यक न हो जाए। जब कभी व्यवहारिक हो, ऐसे उपाय आपसी परामर्श से किये जाएंगे ।

७. इस अनुच्छेद के प्रावधानों से किसी भी विचलन की स्थिति में अनुच्छेद १५ के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और यह इस करार के अनुच्छेद ४ को लागू करने का आधार बन सकता है ।

अनुच्छेद-१५
परामर्श

निकट सहयोग की भावना से, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इस करार के प्रवर्तन और निर्वचन के संबंध में नियमित रूप से विचारों का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद-१६
संशोधन

१. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों में से कोई भी पक्ष इस करार के किसी भी उपबंध में संशोधन करना वांछनीय समझे तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष से इस प्रकार के परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है । ऐसा परामर्श जो कि वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच हो सकता है और जो विचार-विमर्श या पत्राचार के माध्यम से होगा, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के साठ (६०) दिनों की अवधि के भीतर शुरू होगा । इस प्रकार सम्मत कोई भी संशोधन तभी लागू होगा जब राजनयिक

सत्यमेव जयते

टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाए ।

२. अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों में संशोधन संविदाकारी पक्षों के सक्षम वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सीधी सहमति से किया जा सकता है और पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी ।

अनुच्छेद-१७
विवादों का निपटान

यदि वर्तमान करार के निर्वचन और प्रवर्तन के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपस में बातचीत द्वारा इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, यदि ऐसा न हो सके तो यह विवाद समाधान के लिये संविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा ।

अनुच्छेद-१८
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

१. जहां तक अभिसमय के उपबंध इस करार के अधीन स्थापित हवाई सेवाओं पर लागू होते हैं, ये उपबंध करार की अवधि के दौरान संविदाकारी पक्षों के बीच अपनी वर्तमान स्थिति में लागू रहेंगे जैसे कि वे करार के अभिन्न अंग हों, जब तक दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में किसी संशोधन का अनुसमर्थन नही कर देते, जो कि विधिवत् रूप से प्रवर्तन में आ जाएगा और उस स्थिति में यथासंशोधित अभिसमय इस करार की अवधि के दौरान लागू रहेगा ।

२. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय प्रवर्तन में आये तो ऐसे अभिसमय के उपबंध अभिभावी होंगे ।

अनुच्छेद-१९
अनुबंध

इस करार के साथ संलग्न अनुबंध इस करार का हिस्सा माना जाएगा और सिवाय जहां स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न हो, करार से संबंधित सभी संदर्भों में अनुबंध के लिये संदर्भ भी शामिल होगा ।

अनुच्छेद-२०
प्रवर्तन में आना

आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद यह करार हस्ताक्षर की तारीख को प्रवर्तन में आएगा।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-२१

समाप्त करना

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार को समाप्त करने के लिये दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है । ऐसा नोटिस साथ-साथ ही अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा । यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो यह करार दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से बारह मास बाद समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व ही समापन का यह नोटिस सहमति से वापस नहीं ले लिया जाता । दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति सूचना न भेजे जाने की स्थिति में, यह नोटिस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा प्राप्त किये जाने की तारीख से चौदह दिन बाद प्राप्त किया गया मान लिया जाएगा ।

दिनांक 14 सितम्बर, 1993 को अश्गाबाद में हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल सेटों पर हस्ताक्षर किये जिनमें से सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । इनके निर्वचन में कोई भी मतभेद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

कृते भारत सरकार	कृते तुर्कमेनिस्तान सरकार